(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 693–तीन/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.01.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी जिला शिवपुरी प्रकरण क्र. 44/2014–15/अ0मा0

---

1. बाबू सिंह पुत्र तेज सिंह ठाकुर आयु 70 वर्ष
2. कोमल सिंह पुत्र तेज सिंह आयु 45 वर्ष
3. ज्ञान सिंह पुत्र श्री तेज सिंह ठाकुर आयु 55 वर्ष
   समस्त व्यवसाय कृषि समस्त निवासीगण– ग्राम ककरौआ परगना पोहरी तहसील बैराड जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. भूप सिंह चौहान पुत्र श्री शिव सिंह चौहान आयु 65 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी– ग्राम ककरौआ परगना पोहरी तहसील बैराड जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम खैरवानी परगना पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. भरोसी पुत्र लालाराम काछी निवासी– ग्राम ककरौआ परगना पोहरी तहसील बैराड जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुन्दरम श्रीवास्तव

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 .....को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र.

44/2014–15/अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बैराढ़ के प्रकरण कमांक 107/95–96/अ–19(1) में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 के तहत अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.01.2016 के द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से मौखिक तथा लिखित रूप में यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 20 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना कोई उचित कारण के 20 वर्ष के विलंब को क्षमा कर न्यायिक त्रुटि की है। यह भी कहा गया कि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी 11.05.2015 को मिली उसके उपरांत उसके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश की गई जबकि उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी, परंतु अनावेदक द्वारा जान–बूढकर अपील न करके रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि जानकारी दिनांक 14.05.2015 के ठीक दो माह के बाद 14.07.2015 को प्रस्तुत की। जिसके दो माह का कोई विवरण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 5 में नहीं दिया गया। उसके पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है।

यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रश्नाधीन भूमि अपने पितामह से प्राप्त होने का उल्लेख किया है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, इसके बावजूद भी अनुविभागीय

अधिकारी ने 20 वर्ष के विलंब को क्षमा कर न्यायिक त्रुटि की है। उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1992 आर.एन. 289 में प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला देते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

4. अनावेदक क्र. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है। नायब तहसीलदार द्वारा उनके पितामह व पिता को सूचना दिए बिना चरनोई भूमि के रूप में अंकित कर दी गई। अनावेदक क. 1 के प्रश्नाधीन भूमि में निहित स्वत्व होते हुए भी उसे पक्षकार बनाये बिना दिनांक 04.06.1996 को नायब तहसीलदार के समक्ष भूमि को आबंटन किए जाने का आवेदन दिया गया जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा आबंटन हेतु बनी नियमावली से विपरीत जाकर भूमि का आवंटन आवेदक को किया गया है। आवंटन करने से पूर्व विधिवत इश्तिहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है। आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर 02.10.1984 के पूर्व से कब्जा भी नहीं है जबकि 1984 अधिनियम के तहत कब्जा होना आवश्यक है।

यह तर्क भी दिया गया है कि निगरानीकर्ता ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निगरानीकर्ता का व्यवहार वाद कमांक 23—ए/1990 ई.दी. निरस्त किया है। उक्त निर्णय की अपील भी जिला जज शिवपुरी द्वारा 23.12.1995 से निरस्त की है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.07.96 की जानकारी उन्हें प्रारंभ से नहीं थी। जानकारी होने पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विविध याचिका क. 4478/2015 पेश की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.07.2015 को आदेश पारित कर उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.96 के संबंध में व्यवहार वाद अथवा संहिता के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। जिसके फलस्वरूप अनावेदक क. 1 ने अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने संपूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर एवं

उभयपक्षों के तर्कों पर विचार के उपरांत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क. 1 द्वारा नायब तहसीलदार बैराढ़ के आदेश दिनांक 02.07.1996 के विरुद्ध 19 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 19 वर्ष के विलंब को अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र यह लिखकर कि अपीलान्ट अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुए अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सद्भावना पर आधारित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। इतने दीर्घकालिक विलंब को बिना समुचित कारण उल्लेखित किए क्षमा करना न्यायिक एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः उनका आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर दोनों पक्षों को पुनः सुनें और समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विधान की धारा–5 का निराकरण करें। तदुपरांत प्रकरण में यदि आवश्यक हो तो अग्रिम कार्यवाही की जाए।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर